भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 153
18.07.2022 को उत्तर के लिए

वायु प्रदूषण

153. श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में किए गए अध्ययनों पर ध्यान दिया है, जिनके अनुसार देश में वायु प्रदूषण के कारण लगभग 40 प्रतिशत भारतीयों की जीवन प्रत्याशा में नौ वर्ष से अधिक समय की कमी होने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में अत्यधिक प्रदूषित और सर्वाधिक प्रभावित राज्यों/शहरों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश, विशेषकर सबसे अधिक प्रभावित शहरों में प्रदूषण को कम करने के लिए क्या आवश्यक ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और क्या लक्ष्य निर्धारित और हासिल किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) सरकार ऐसे अध्ययनों से अवगत है। हालाँकि, वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक (एक्यूएलआई) में वायु प्रदूषण और जीवन प्रत्याशा के बीच कोई रैखिक संबंध नहीं है, जैसा कि 'द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो' (ईपीआईसी) द्वारा सितंबर 2021 में प्रकाशित अद्यतन वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है। केवल वायु प्रदूषण के कारण मृत्यु का सीधा संबंध प्रमाणित करने के लिए कोई निर्णायक डेटा उपलब्ध नहीं है। वायु प्रदूषण श्वसन संबंधी रोगों और उससे संबंधित रोगों को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। स्वास्थ्य कई कारकों से प्रभावित होता है जिसमें पर्यावरण के अलावा प्रत्येक व्यक्ति की भोजन की आदतें, व्यावसायिक आदतें, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, चिकित्सा इतिहास, प्रतिरक्षा, आनुवंशिकता आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय ने लगातार 05 वर्षों के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों से अधिक परिवेशी वायु गुणवत्ता स्तरों के आधार पर मानकों को पूरा न करने वाले 132 शहरों (एनएसी) की पहचान की है। सरकार ने देश भर में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीति के रूप में 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया है। शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और ये योजनाएं मानकों को पूरा न करने वाले और दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले 132 शहरों में कार्यान्वयन हेतु शुरू की गई हैं। 132 शहरों की सूची **अनुबंध-I** में संलग्न है। इस मंत्रालय द्वारा एनसीएपी की कागज रहित निगरानी और जनता में कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रसारित करने हेतु "मानकों को पूरा न करने वाले शहरों में वायु प्रदूषण के विनियमन के लिए पोर्टल" या "प्राण" नामक एक पोर्टल शुरू किया गया है।

उपरोक्त के अलावा, वायु प्रदूषण का उपशमन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अप्रैल, 2020 से ईंधन और वाहनों के लिए बीएस-VI मानदंडों को लागू करने की शुरूआत करना; इलैक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना; सार्वजनिक परिवहन के लिए मेट्रो रेल के नेटवर्क का विस्तार करना; पीएनजी जैसे स्वच्छतर ईंधन को बढ़ावा देना; कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) सहित उद्योगों के लिए कड़े उत्सर्जन मानदंड लागू करना; ईंट भट्ठों के लिए मिश्रित (जिग-जैग) प्रौद्योगिकी आरंभ करना; प्लास्टिक और ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) निर्धारित करना; प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की वास्तविक समय पर निगरानी आदि शामिल हैं। किए गए उपायों का क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

श्री भर्तृहरि महताब द्वारा दिनांक 18.07.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 153 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

मानकों को पूरा न करने वाले और दस लाख से अधिक की जनसंख्या वाले 132 शहरों की सूची

राज्य	क्र.सं.	शहर
आंध्र प्रदेश (13)	1.	गुंटूर
	2.	कुरनूल
	3.	नेल्लोर
	4.	विजयवाड़ा
	5.	विशाखापत्तनम
	6.	अनंतपुर
	7.	चित्तूर
	8.	एलुरु
	9.	कडपा
	10.	ओंगोल
	11.	राजमुंदरी
	12.	श्रीकाकुलम
	13.	विजयनगरम
असम (05)	14.	गुवाहाटी
	15.	नगांव
	16.	नलबाड़ी
	17.	शिवसागर
	18.	सिलचर
बिहार (03)	19.	पटना
	20.	गया
	21.	मुजफ्फरपुर
चंडीगढ़ (01)	22.	चंडीगढ़
छत्तीसगढ़ (03)	23.	भिलाई
	24.	कोरबा
	25.	रायपुर
दिल्ली (01)	26.	दिल्ली
गुजरात (03)	27.	सूरत
	28.	अहमदाबाद
	29.	वडोदरा
हिमाचल प्रदेश (7)	30.	बद्दी
	31.	दमताल
	32.	कलाअंब
	33.	नालागढ़
	34.	पोंटा साहिब

राज्य	क्र.सं.	शहर
	35.	परवाणू
	36.	सुंदर नगर
जम्मू और कश्मीर (2)	37.	जम्मू
	38.	श्रीनगर
झारखंड (01)	39.	धनबाद
कर्नाटक (04)	40.	बैंगलोर
	41.	दावनगेरे
	42.	गुलबर्ग
	43.	हुबली, धारवाड़
मध्य प्रदेश (06)	44.	भोपाल
	45.	देवास
	46.	इंदौर
	47.	सागर
	48.	उज्जैन
	49.	ग्वालियर
महाराष्ट्र (18)	50.	अकोला
	51.	अमरावती
	52.	औरंगाबाद
	53.	बदलापुर
	54.	चंद्रपुर
	55.	जलगांव
	56.	जालना
	57.	कोल्हापुर
	58.	लातूर
	59.	मुंबई
	60.	नागपुर
	61.	नासिक
	62.	नवी मुंबई
	63.	पुणे
	64.	सांगली
	65.	सोलापुर
	66.	उल्हासनगर
	67.	थाणे
मेघालय (01)	68.	बिरनिहाट
नगालैंड (02)	69.	दीमापुर
	70.	कोहिमा
ओडिशा (07)	71.	अंगुल
	72.	बालासोर
	73.	भुवनेश्वर
	74.	कटक

राज्य	क्र.सं.	शहर
	75.	राउरकेला
	76.	तालचेर
	77.	कलिंग नगर
पंजाब (09)	78.	डेराबस्सी
	79.	गोबिंदगढ़
	80.	जालंधर
	81.	खन्ना
	82.	लुधियाना
	83.	नया नंगल
	84.	पठानकोट/डेरा बाबा
	85.	पटियाला
	86.	अमृतसर
राजस्थान (05)	87.	अलवाडी
	88.	जयपुर
	89.	जोधपुर
	90.	कोटा
	91.	उदयपुर
तमिलनाडु (03)	92.	थूथुकुडी
	93.	त्रिची
	94.	मदुरै
तेलंगाना (04)	95.	हैदराबाद
	96.	नलगोंडा
	97.	पाटनचेरुवु
	98.	संगारेड्डी
उत्तर प्रदेश (16)	99.	आगरा
	100.	इलाहाबाद
	101.	अनपरा
	102.	बरेली
	103.	फिरोजाबाद
	104.	गजरौला
	105.	गाज़ियाबाद
	106.	झांसी
	107.	कानपुर
	108.	खुर्जा
	109.	लखनऊ
	110.	मुरादाबाद
	111.	नोएडा
	112.	रायबरेली
	113.	वाराणसी
	114.	गोरखपुर

राज्य	क्र.सं.	शहर
उत्तराखंड (03)	115.	काशीपुर
	116.	ऋषिकेश
	117.	देहरादून
पश्चिम बंगाल (07)	118.	कोलकाता
	119.	आसनसोल
	120.	बैरकपुर
	121.	दुर्गापुरी
	122.	हल्दिया
	123.	हावड़ा
	124.	रानीगंज
मानकों को पूरा न करने वाले दस लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहर जो XV-वित्तीय आयोग के तहत वित्त पोषित हैं		
गुजरात (1)	125.	राजकोट
हरियाणा (1)	126.	फरीदाबाद
झारखंड (2)	127.	जमशेदपुर
	128.	रांची
मध्य प्रदेश (1)	129.	जबलपुर
उत्तर प्रदेश (1)	130.	मेरठ
महाराष्ट्र (1)	131.	वसई-विरार
तमिलनाडु (1)	132.	चेन्नई

अनुबंध-II

श्री भर्तृहरि महताब द्वारा दिनांक 18.07.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 153 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय

वाहनीय प्रदूषण नियंत्रण

- अप्रैल, 2020 से ईंधन और वाहनों के लिए बीएस-IV से सीधे बीएस-VI मानक अपनाना।
- जन परिवहन के लिए मेट्रो रेल के नेटवर्क में वृद्धि की गई है और अधिक शहरों को शामिल किया गया है।
- एक्सप्रैस-वे और राजमार्गो के विकास से भी ईंधन की खपत और प्रदूषण में कमी आ रही है।
- सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण जैसे स्वच्छतर/वैकल्पिक ईंधन की शुरूआत करना।
- इलेक्ट्रिक वाहनों का त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण (फेम)-2 स्कीम की शुरूआत की गई है।
- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए परमिट आवश्यकता पर छूट दी गई है।
- सड़कों पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और सड़कों में सुधार करना व ज्यादा पुलों का निर्माण करना।

औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण

- कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के लिए कड़े उत्सर्जन मानदंड निर्धारित करना।
- दिल्ली और एनसीआर राज्यों में ईंधन के रूप में पेट कोक तथा फर्नेस ऑयल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना।
- औद्योगिक इकाइयों द्वारा पीएनजी अपनाना।
- अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों में ऑन-लाइन सतत उत्सर्जन निगरानी उपकरणों की संस्थापना।
- प्रदूषण में कमी करने के लिए ईंट भट्टों द्वारा मिश्रित (जिग-ज़ैग) प्रौद्योगिकी को अपनाना।

अपशिष्ट प्रबंधन

- ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट को शामिल करते हुए 6 अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की अधिसूचना जारी की गई है।
- अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र जैसी अवसंरचनाओं की स्थापना करना।
- प्लास्टिक और ई-अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उत्पादक के विस्तारित उत्तरदायित्व (ईपीआर)
- बायोमास/कचरे के जलाने पर प्रतिबंध लगाना।

फसल अवशिष्ट प्रबंधन

- 'पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशिष्ट के स्व-स्थाने प्रबंधन हेतु कृषिगत मशीनीकरण को बढ़ावा देने' से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत, प्रत्येक किसान को 50 प्रतिशत रियायत पर और कस्टम हाईरिंग सेंटरों की स्थापना के लिए 80 प्रतिशत रियायत के साथ स्व-स्थाने फसल अवशिष्ट प्रबंधन हेतु कृषिगत मशीनों और उपकरणों को बढ़ावा दिया जाता है।
- कंम्प्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने और ऑटोमोटिव ईंधनों में उपयोग हेतु सीबीजी को बाजार में उपलब्ध कराने के लिए "किफायती परिवहन के लिए संधारणीय विकल्प (एसएटीएटी)" को एक नई पहल के रूप में शुरू किया गया है।

परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी

- राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी) जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत हस्तचालित के साथ-साथ सतत निगरानी स्टेशनों के वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का विस्तार।
- कम लागत वाले सेंसर और उपग्रह आधारित निगरानी जैसी वैकल्पिक परिवेशी निगरानी तकनीकों का आकलन करने के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं की शुरुआत।
- दिल्ली, कानपुर और लखनऊ के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का कार्यान्वयन। यह प्रणाली समय पर कार्रवाई करने के लिए अलर्ट प्रदान करती है।

*****